ऑन लाईन नं. GCMS 2020/00143

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : भवानी सिंह पंवार, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 35/2020

श्री हरीराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. श्री संजय कुमार पुत्र श्री मगत राय अरोड़ा —नमूना विक्रेता एवं मालिक—
मैसर्स :— खुंगर स्वीट्स, 11 सी—ब्लॉक, बीरबल चौंक, श्रींगंगानगर जिला श्रीगंगानगर
निवासी —7—जी—1, जवाहरनगर, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।

अपराध अ0 धारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम,
2006 की धारा 26(2)(2)/54

निर्णय दिनांक : 10.03.2022

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री हरिराम वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 27.10.2016 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार श्री विनोद कुमार शर्मा को खाद्य सरुक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 22.05.2017 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्यक्षेत्र में बताये है।

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 01.08.2020 को दोपहर 12.15 बजे श्री विनोद कुमार बिश्नोई, IEC CORDINATOR, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के साथ निरीक्षण हेतु फर्म मै0 खुंगर स्वीट्स, 11 सी—ब्लॉक, बीरबल चौंक, श्रींगंगानगर जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचे। वहां पर श्री संजय कुमार पुत्र श्री मगत राय अरोड़ा उपस्थित मिला। उपस्थित को मैने अपना परिचय देकर मैसर्स खुंगर स्वीट्स, का निरीक्षण किया तो वहां रखे 8 टिन के पीपों में लगभग 90 किलोग्राम **रसगुल्ला (छैना मिठाई)** पाये गये जिसे उपस्थित ने आमजन को विक्रय हेतु बताया। मिलावट/नकली का शक होने पर नमूना जांच संख्या **K-1046** के नमूनीकरण के लिये 2.00 किलोग्राम **रसगुल्ला (छैना मिठाई)** खरीदा जिसकी कीमत 240/—रूपये (अखरे रूपये दों सौ चालीस मात्र) का नगद भुगतान देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता संजय कुमार के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री श्री विनोद कुमार एवं राजकुमार के हस्ताक्षर है एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हरीराम वर्मा ने भी हस्ताक्षर किये ।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हरीराम वर्मा ने सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नम्बर 6ए की प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया था कि नमूना वास्ते जांच लिया जा रहा है। फार्म नम्बर 5ए पर **रसगुल्ला (छैना मिठाई)** विक्रेता श्री संजय कुमार पुत्र श्री मंगतराम अरोड़ा एवं गवाहान ने पढ़कर समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 05 ए की प्रति मौका निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **रसगुल्ला (छैना मिठाई)** को चार साफ एवं सुखी प्लास्टिक की बोतलों में बराबर–बराबर भागों में डालकर एवं उचित मात्रा में परिरक्षक मिलाकर कंसकर ढक्कन बन्द किये एवं टेप चिपकाकर लेबल चिपकाये एवं उन पर खाद्य नमूना कोड व अनुक्रमांक **K-1046** एवं अन्य विवरण दर्ज किया और लेबलों पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रत्येक बोतल को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर और कागज को सिरो को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप कोड एवं अनुक्रमांक **K-1046** को नियमानुसार नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार 4–4 जगह सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं विवरण लिखकर आवेदन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हरीराम वर्मा ने भी हस्ताक्षर किये। नमूना विक्रेता को यह बताने के बाद कि वह चाहे तो नमूने के चौथे भाग को किसी **NABL Laboratory** से जांच करवाने के लिए आवेदन कर सकता है। चारों नमूना भागों को श्री हरीराम वर्मा ने अपने कब्जे में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य विक्रेता श्री संजय कुमार ने पढ़कर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/48/एक्ट/2020/49 दिनांक 13.08.2020 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1046 "Rasgulla (Chhena Mithai)"** अमानक स्तर **Food Containing Extraneous Matter** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री संजय कुमार पुत्र मंगतराम अरोड़ा मैसर्स खुंगर स्वीट्स, 11, सी–ब्लॉक, बीरबल चौक, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **"Rasgulla (Chhena Mithai)"** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 2006 की धारा 26(2)(2)/54 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 13.10.2020 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने जरिये अधिवक्ता जवाब पेश कर कथन किया है कि प्रार्थी के समक्ष कोई फर्द रिपोर्ट तैयार नहीं की गई और न ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बने नियमों की कोई पालना की गई है। आवेदन पत्र की चरण संख्या 5 में केवल मात्र यह अंकित किया है कि नमूना **Food Containing Extraneous Matter** पाया गया है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार से कोई मिलावटी खाद्य पदार्थ विक्रय नहीं किया जा रहा था। केवल मात्र रसगुल्ला छैना मिठाई ही विक्रय की जा रही थी जो कोई अपमिश्रित नहीं है और इससे किसी प्रकार की मुनष्य के जीवन को कोई खतरा नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त आवेदन पत्र में प्रार्थी के विरूद्व केवल जुर्माने योग्य अपराध का आरोप लगाया गया है। उक्त तक्यों के आधार पर आवेदन पत्र निरस्त फरमाया जावें और अगर न्यायालय प्रकरण के किसी स्तर पर यह पाया है कि प्रार्थी द्वारा कोई आपराधिक कृत्य किया गया है, तो प्रार्थी के विरूद्व नरमी का रूख अपनाते हुए कम से कम जुर्माना लगा कर पत्रावली का निस्तारण किया जावे।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **"Rasgulla (Chhena Mithai)"** का सैम्पल **K-1046** जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/48/एक्ट/2020/49 दिनांक 13.08.2020 द्वारा **Food Containing Extraneous Matter** होना पाया गया है। इस प्रकार जांच रिपोर्ट में अंकित अनुसार **Extraneous Matter** युक्त रसगुल्ला (छैना मिठाई) का विक्रय किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवंम मानक अधिनिमय 2006 की धारा 26(2)(2) का उल्लधन है तथा जुर्माने योग्य अपराध है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006उ की धारा 54 में वर्णित है। नमूना विक्रेता द्वारा एफएसएसए 2006 की धारा 31(1) के तहत जुर्मान योग्य अपराध साबित होता है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि प्रार्थी के समक्ष कोई फर्द रिपोर्ट तैयार नहीं की गई और न ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बने नियमों की कोई पालना की गई है। आवेदन पत्र की चरण संख्या 5 में केवल मात्र यह अंकित किया है कि नमूना **Food Containing Extraneous Matter** पाया गया है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार से कोई मिलावटी खाद्य पदार्थ विक्रय नहीं किया जा रहा था। केवल मात्र रसगुल्ला छैना मिठाई ही विक्रय की जा रही थी जो कोई अपमिश्रित नहीं है और इससे किसी प्रकार की मुनष्य के जीवन को कोई खतरा नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त आवेदन पत्र में प्रार्थी के विरूद्व केवल जुर्माने योग्य अपराध का आरोप लगाया गया है। उक्त तक्यों के आधार पर आवेदन पत्र निरस्त फरमाया जावें और अगर न्यायालय प्रकरण के किसी स्तर पर यह पाया है कि प्रार्थी द्वारा कोई आपराधिक कृत्य किया गया है, तो प्रार्थी के विरूद्व नरमी का रूख अपनाते हुए कम से कम जुर्माना लगा कर पत्रावली का निस्तारण किया जावे।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Rasgulla (Chhena Mithai)"** bearing Code No. and Sr. No. K-1046 of Designated Officer cum The Chief Medical & Health Officer, Sriganganagar is Food containing extraneous matter Under Section 3.1 [i] of the Food Safety & Standards Act ,2006 as added starch found present. जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त ने **Food Containing Extraneous Matter, "Rasgulla (Chhena Mithai)"** का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 54 में वर्णित है। अतः अभियुक्त को एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 31(1) के तहत जुर्माने से दण्डित किये जाने के अन्तर्गत राशि रूपये 10000–00 (अखरे रूपये दस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **"Rasgulla (Chhena Mithai)"** उच्च क्वालिटी का विक्रय करें, ताकि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह पंवार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर